न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड त्ण् ।ैण्

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 08 / 2019 **दायर तारीख** 14.05.2019

1. नोरतराम पुत्र गणेशराम जाति रेगर निवासी पीलवा
2. प्रभूराम पुत्र गणेशराम जाति रेगर निवासी पीलवा
3. राहुल पुत्र मोतीराम जाति रेगर निवासी पीलवा
4. भरत पुत्र मोतीराम जाति रेगर निवासी पीलवा
5. राधिका पुत्री मोतीराम जाति रेगर निवासी पीलवा
6. अनिता पुत्री मोतीराम जाति रेगर निवासी पीलवा
7. रिमडिम पुत्री मोतीराम जाति रेगर निवासी पीलवा

——: अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार , परबतसर
2. सरंपच ग्राम पंचायत पीलवा
3. भू. अभिलेख निरीक्षक पीलवा
4. पटवारी हल्का पीलवा

—— रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत पीलवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.1972 नामान्तकरण संख्या 130 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान वकील अपीलान्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 26.11.2019

1. अपीलार्थी ने अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया ग्राम पीलवा की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 1117 रकबा 1.62 हैक्टयर, खसरा नम्बर 10 रकबा 0.77 हैक्टयर स्थित है। अपीलान्ट ने नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की हैं जिसमें अन्य हितबद्ध व्यक्ति जिनका नामान्तकरण साथ में भरा गया था उनको पक्षकार नही बनाया गया हैं तथा न ही कोई अनुतोष हितबद्ध व्यकितयों के विरूद्ध मांगा हैं क्योंकि अपीलान्ट केवल नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की है। सम्पूर्ण नामान्तकरण कानुनी रूप से सही भरा गया हैं, अपीलान्ट छगनाराम पुत्र बगताराम उर्फ गणेशराम पुत्र बगताराम के विधित वारिसान हैं। अपील पत्र के पेज संख्या 2 के बिन्दु संख्या 5 में सजरा खानदान पेश किया है। जिसके अनुसार अपीलान्ट के पिता व दादा गणेशराम की जगह राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटि व गलती से छगनाराम नाम अंकित कर दिया हैं अपीलान्ट के दादा व पिता गणेशराम का बोलता नाम छगनाराम हैं गणेशराम की दिनांक 02.05.2012 को स्वर्गवास हो चुका हैं अपीलान्ट के दादा पिता के समस्त दस्तावेज राशन कार्ड , मृत्यु प्रमाण पत्र, परिचय पत्र में

गणेशराम पुत्र बगताराम नाम अंकित हैं उक्त जमीन के खातेदारान का आपस में कोई विवाद नहीं हैं ग्राम पीलवा की ही अन्य खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 1094 रकबा 0.77 हैक्टयर में अपीलन्ट के पिता व दादा का नाम गणेशराम पुत्र बगताराम दर्ज हैं जो सही है। ग्राम पीलवा में गणेशराम पुत्र बगताराम व छगनाराम पुत्र बगताराम नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं हैं दोनों नाम के एक ही व्यक्ति हैं जो दोनो नामें से जाना पहचाना जाता हैं। अपीलान्ट के पिता व दादा का नाम ग्राम पीलवा के उपरोक्त खसरान की भूमि में राजस्व कर्मचारीयों की गलती से छगनाराम पुत्र बगताराम अंकित हुआ हैं जबकि अपीलान्ट के दादा पिता का सही नाम गणेशराम पुत्र बगताराम है। अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया हैं कि नामान्तकरण संख्या 130 ग्राम पीलवा को इस हद तक संशोधन फरमावें कि अपीलान्ट का छगनाराम पुत्र बगताराम की जगह गणेशराम पुत्र बगताराम दर्ज करते हुऐ रिकार्ड दुरूस्ती हेतु आदेश फरमावें।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4 के सम्मन तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का द्वारा प्रमाण पत्र पेश किया है। नामान्तकरण संख्या 130 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2030–33 की प्रमाणित प्रति, वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074–77 की प्रति, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, गणेशराम का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति पेश की है।

3. बहस अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि अपीलान्ट के दादा व पिता का नाम गणेश पुत्र बगता हैं, पीलवा के खसरा नम्बर 1094 रकबा 0.77 हैक्टयर भूमि में नाम गणेशराम पुत्र बगताराम सही दर्ज होने से अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण दर्ज हो चुका हैं। लेकिन ग्राम पीलवा के खसरा नम्बर 1117 रकबा 1.62 हैक्टयर, खसरा नम्बर 10 रकबा 0.77 हैक्टयर भूमि का नामान्तकरण संख्या 130 दर्ज करते समय गलती से अपीलान्ट के दादा पिता का नाम गणेशराम पुत्र बगताराम के स्थान पर छगना राम पुत्र बगताराम अंकित कर दिया गया जो गलत हैं अपीलान्ट के दादा पिता को गणेशराम व छगनाराम दोनों नामों से ही जाना जाता था तथा दोनों नाम ग्राम में एक ही व्यक्ति था। अपीलान्ट के दादा व पिता का नाम एक अन्य खसरा नम्बर 1094 में गणेशराम पुत्र बगताराम सही दर्ज होने से उसमें फौतगी नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज हो चुका हैं। लेकिन विवादित आराजीयत में अपीलान्ट के दादा पिता का नाम गलत अंकित होने से फौतगी नामान्तकरण दर्ज नही हुआ हैं जिससे नाम अपीलान्ट अपने दादा पिता का नाम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

4. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन किया गया। नामान्तकरण संख्या 130 अवलोकन किया गया जिसके अनुसार उक्त नामान्तकरण 130 बैचान दिनांक 05.08.1970 के आधार पर दर्ज किया गया हैं। उक्त नामान्तकरण फौतगी नामान्तकरण

26/11/19
उपखण्ड अधिकारी

नहीं होकर बैचान दस्तावेज के आधार अपीलान्ट के दादा पिता का नाम छगना वल्द बगता कौम रेगर सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड किया जाना पाया जाता है। जिसके बाद जमाबन्दी सम्वत 2030–33 में ग्राम पीलवा के गत खसरा नम्बर 652/1 रकबा 10 बीघा भूमि की खातेदारी छगना वल्द बगता कौम रेगर सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड की गई है। अपीलान्ट बैचान दस्तावेज की प्रति पेश नही की हैं जिससे यह प्रतीत होता हो की बैचान दस्तावेज में अपीलान्ट के दादा पिता का नाम गणेशराम पुत्र बगताराम दर्ज हो ओर नामान्तकरण में छगना वल्द बगता दर्ज कर दिया हो। एक अन्य खसरा नम्बर 1094 की जमाबन्दी पेश की हैं जिसमें गणेशर पुत्र बगता दर्ज रिकार्ड हैं जिसका इस अपील में विवादित आराजीयत से या गत खसरा नम्बर 252/1 रकबा 10 बीघा में दर्ज खातेदार छगना वल्द बगता से क्या सम्बन्ध हैं इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया हैं। केवल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया है, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

5. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 130 फौतगी नामान्तकरण नहीं हैं यह नामान्तकरण ग्राम पीलवा के गत खसरा नम्बर 652 रकबा 70 बीघा भूमि के खातेदारो द्वारा अपनी खातेदारी में से 10 बीघा भूमि का बैचान करने पर बैचान दस्तावेज के आधार छगना वल्द बगता कौम रेगर के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा बैचान दस्तावेज की प्रति पेश नहीं की हैं जिससे यह साबित होता हो कि बैचान दस्तावेज में अपीलान्ट के दादा पिता का नाम गणेशराम पुत्र बगताराम दर्ज हो एवं नामान्तकरण में त्रुटिवंश छगना वल्द बगता दर्ज कर दिया हो। अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण दर्ज होने में किसी प्रकार की त्रुटि सिद्ध करने में असफल रहा है। अपीलान्ट ने नामान्तकरण अपील पेश कर दादा पिता का नाम गलत अंकित होना बताकर 47 वर्ष बाद नामान्तकरण खारिज करने हेतु अपील पेश की है। अपीलान्ट ने नामान्तकरण अपील के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है। जिससे अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर होने व तथा दर्ज नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि अपीलान्ट द्वारा सिद्ध नहीं की जाने के करण अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अभाव में मयाद बाहर होने व दर्ज नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं यह आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/19

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)